न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

प्रकरण संख्या : 09/2019
रजि. संख्या : 2019/00040

प्रार्थीपक्ष :–		**अप्रार्थी :–**
श्री मडिया पिता श्री लुणजी, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत कुशलापाडा, भाग 2, तहसील कुशलगढ	**बनाम**	1. राजस्थान राज्य द्वाराजिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा 2. उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ

उपस्थित

श्री भगवत पुरी, श्री रवि पुरी –अभिभाषक (अपीलार्थी)	प्रवर्तन अधिकारी, –विभागीय प्रतिनिधि

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम आदेश 1976) विरूद्ध निर्णय दिनांक 23–09–2019, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ प्रकरण संख्या 03/2018

निर्णय

दिनांक :– 25.09.2020

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ के **प्रकरण संख्या 03/2018** में दिनांक 23–09–2019 को दिए गए निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है कि ग्रामवासी कुशलापाडा, नागदी छोटी ने उपस्थित होकर मौखिक व लिखित शिकायत पेश करने पर उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ द्वारा दिनांक 27.09.2018 से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिनांक 04.10.2018 तक का समय दिया गया। जिस पर अपीलार्थी ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। अपीलार्थी को सुने बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत केवल जॉच रिर्पोट एवं अपीलार्थी का जवाब असन्तोषप्रद मानकर प्राधिकार पत्र 1177/02 दिनांक 27.11.2002 निरस्त करते हुए प्रतिभूति राशि रुपया 1000/– जब्त करने के आदेश किये है। अपीलगत प्रकरण में दिया गया आदेश (निर्णय) दिनांक 23–09–2019 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होकर अपास्त योग्य है। अपीलाण्ट सन् 2002 से राशन डीलर का कार्य कर रहा है एवं कोई अनियमितता नही की है, एवं उपभोक्ताओं को नियमानुसार खाद्यान्न वितरण करता चला आ रहा है। अपीलार्थी के कार्यक्षैत्र में ग्राम कुशलापाडा, खेडपुर जैसे बडे गॉव आते है परन्तु कुछ उपभोक्ताओं से बात कर प्रश्नगत कार्यवाही अमल में लायी गई है। शिकायत पत्र एवं प्रवर्तन निरीक्षक की जॉच रिर्पोट में विरोधाभास है। शिकायतकर्ता कहॉ के

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.10.08 16:13:33 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

रहने वाले है एवं किन लोगो के हस्ताक्षर है इसका कोई उल्लेख शिकायत पत्र में नही है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित टाईप शुदा रिर्पोट व हस्त लिखित रिर्पोट में विरोधाभास है। जिन 13 उपभाक्ताओं के राशनकार्ड के इन्द्राज के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है, उनके मौखिक बयान अथवा कोई शिकायत जॉचकर्ता अथवा प्रत्यर्थी ने प्राप्त नही किये है। उक्त राशन कार्डो में कोई गलत विवरण जैसे कम सामग्री देकर ज्यादा सामग्री का अंकन करने का कोई आरोप नही है। पोस मशीन से प्राप्त वितरण की पर्ची नही देना एवं महिने के अंतिम 3–4 दिन ही दुकान खोली जाना असत्य है। जॉचकर्ता द्वारा दिनांक 30.07.2018 को निरीक्षण किया गया जो दिनांक महिना अन्त होने पर आती है। तब भी दुकान खुली थी एवं अपीलार्थी दुकान पर मौजुद था। प्रार्थी को अपना प्राधिकार पत्र निरस्त होने व प्रतिभूति राशि रु 1000/– जब्ती के आदेश क्रमांक 2088–91 दिनांक 23.09.2019 की जानकारी होने पर प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर निर्णय की प्रति प्राप्त होने के बाद अन्दर मियाद अपील पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा (Condone) हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलगत प्रकरण में दिया गया आदेश दिनांक 23–09–2019 को अपास्त करने व अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1177/ 02 बहाल एवं प्रतिभूति रुपया 1000 दिलाये जाने हेतु निवेदन किया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट/ जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा, उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ को सम्मन जारी किए गए।

रेस्पोण्डेंट/ जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि, उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ द्वारा उक्त प्रकरण में तथ्यों के आधार पर विधि संगत ढंग से निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच में अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ द्वारा प्रकरण संख्या 03/2018 दर्ज किया गया। अपीलार्थी विरूद्ध राशन सामग्री वितरण में अनियमितता की शिकायत पर डीलर द्वारा उपभोक्ताओ को नियमित सामग्री का वितरण नही करना, केरोसीन का वितरण लगभग 1 वर्ष तक नही करना, उपभोक्ताओ को एक साथ बुलाकर दिनभर बिठा कर रखना, उपभाक्ताओ से अभद्रता करने एवं पोस मशीन से पर्ची नही देने सम्बन्धित अनियमितताऐं करना पाया गया। इस प्रकार राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 2, 9, 11, व 17सी का उल्लंघन किया है। अपीलार्थी के विरुद्ध उपभोक्ताओ की उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ कार्यालय में लिखित शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत की जॉच में उपभोक्तओ से पुछताछ व राशनकार्ड में इन्द्राजो से अपीलार्थी की अनियमितताऐ किये जाने की पुष्टि हुई है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा राशन सामग्री वितरण में अनियमितताऐ की गई है। एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 9, 11, व 17सी के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। इसलिए अपील अपीलार्थी निरस्त करने निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.10.08 16:13:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दिनांक 18.09.2020 को उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक, अपीलार्थी ने अपील में प्रस्तुत किए गए तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार से उपभोक्ताओं को राशन वितरण करने में कोई त्रुटी नहीं की गई है। मौखिक साक्ष्य जो बताई गई है, वह राजनैतिक दबाव में तथ्यों के प्रतिकुल जवाब दे रहे हैं, साथ ही सम्पूर्ण पत्रावली पर अपीलार्थी के विरूद्ध नियंत्रित सामग्री अथवा खाद्यान्न के दुरूपयोग अथवा दुर्विनियोग करने का कोई आरोप अथवा साक्ष्य मौजुद नहीं है। सम्पूर्ण मामला केवल मात्र राजनैतिक दबाव में आकर मिथ्या बनाया गया है। रजिस्टर में इन्द्राज सही है। गेहूं, शक्कर व केरोसीन बराबर बांटा गया है। स्टॉक में शेष रहने वाली नियंत्रित सामग्री का वितरण भी प्रति यूनिट निर्धारित मात्रा के अनुसार किया गया है एवं वितरण का रिकार्ड में स्पष्ट अंकन है। गेहूं, शक्कर व केरोसीन का बराबर वितरण किया गया है एवं उसमें कोई अनियमितताएं नहीं रही हैं। अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की गम्भीर अनियमितता नहीं पाई गई है। अपीलार्थी के विरूद्ध विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। इसलिए अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ का उक्त निर्णय दिनांक 23–09–2019 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 1177/02 को पुनः बहाल किया जाने एवं प्रतिभूति राशि रूपया 1000/– दिलाये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रवर्तन अधिकारी (विभागीय प्रतिनिधि) ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में बाद जांच अनियमितताऐं करना पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ द्वारा नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया एवं नोटिस जारी किया गया। अपिलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब असन्तोष प्रद पाये जाने एवं जॉच में अनियमितता की पुष्टि होने पर प्राधिकार–पत्र निलम्बित किया गया है। अतः विधि संगत ढंग से सुनवाई की जाकर तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी का प्राधिकार–पत्र निरस्त किया गया है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नही दिया गया है। इसलिए न्यायहित में प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते है। उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रार्थी को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई करे।

अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2019 को अपास्त कर सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय देते हुए उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ को निर्देशित करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बासवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.10.08 16:13:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner